चरखा विकास संवाद
CHARKHA DEVELOPMENT COMMUNICATION NETWORK

अंक 4, द्विमासिक, मई 2005

संपादक की ओर से

चरखा का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित और हाशिए पर खड़े लोगों को संचार के विभिन्न रूपों से परिचित करवाना है जिसका वह अपने विकास प्रक्रिया में इस्तेमाल कर सकें। इसी दिशा में चरखा ने कुछ नए प्रयास किए है।

चरखा ने ऐसा ही एक सफल प्रयास इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (नई दिल्ली) के सहयोग से तिब्बत के युवा चित्रकार तेनजिन जामियांग की चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित कर किया। (देखें बेवसाइट www.iicdehi.nic.in) किसी तिब्बती कलाकार की धर्मशाला से बाहर आयोजित यह पहली चित्र प्रदर्शनी है जिसका उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किया। एक सप्ताह तक चली इस प्रदर्शनी से यह साबित हो गया कि उचित मार्गदर्शन और उत्साहवर्द्धन से युवाओं को एक नई दिशा दी जा सकती है।

1959 से ही तिब्बत से पलायन करने वाले शरणार्थियों के लिए भारत एक घर की तरह है लेकिन अब तक वह रोजमर्रा की जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करते हैं। साथ ही उन्हें अपने पहचान के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है। चित्रकला के माध्यम से चरखा ने उनकी इस संकीर्ण परिभाषा से परे जाकर उन्हें एक नया आधार देने की कोशिश की है।

चरखा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र राहुल रामागुंडम को 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शोध करने में मदद की है। यह शोध बिहार की राजनीतिक स्थिति पर किया गया जिसके कारण सामाजिक, आर्थिक स्थिति में गिरावट के बावजूद 15 सालों से सत्ता परिवर्त्तन हुआ ही नहीं। 13 मई 2005 को डॉ टी बी सिंह इस पुस्तिका को जारी किया। इस तरह की रचनात्मक पहल हाशिए पर खड़े लोगों के विकास की प्रक्रिया को समझने की कोशिश है। चरखा इससे उपेक्षित लोगों को संचार के जरिए सशक्तिकरण की ओर ले जाने का प्रयास करता है।

इंद्राणी डे

संपादक के नाम पत्र

आपकी प्रतिक्रिया तथा सुझाव हमारे लिए बेहद उपयोगी हैं। हम इस न्यूजलेटर में संपादक के नाम पत्र स्तंभ को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आपकी प्रक्रिया हमें चरखा विकास संवाद को बेहतर करने में मदद करेगी। यही नहीं, हमें जो पत्र सर्वोत्तम लगेगा उसे हम न्यूजलेटर के अगले अंक में खास स्थान मुहैया कराएंगे।

इसलिए कृप्या हमें इस मेल पर अपने पत्र/प्रतिक्रियाएं भेजे: samvad@charkha.org

तिब्बत के युवा चित्रकार से मेरी मुलाकात

दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 24 अप्रैल से 1 मई तक तिब्बत के युवा चित्रकार जामियांग की चित्र प्रदर्शनी का आयोजन चरखा ने किया। यह जामियांग की पहली चित्र प्रदर्शनी थी। मैं जैसे ही आर्ट गैलरी में गई चारों ओर धर्मशाला के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक था।
थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने जामियांग से कहा कि मैं चित्रों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती लेकिन मैं मशहूर चित्रकार विसेंट वैन जॉग के काम को बहुत पसंद करती हूं। उसने मुझे बताया कि एक बार इंडिया

टुडे में मैंन विसेंट वैन जॉग का एक लेख पढ़ा था उसीने मुझे तस्वीरों की तरफ आकर्षित किया और मेरा झुकाव चित्र बनाने की तरफ होने लगा। जामियांग ने पेंटिंग की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। इसके लिए उसने आर्ट कॉलेज में तीन बार आवेदन किया लेकिन हर बार आवेदन रद्द कर दिया गया। उसने अपनी तस्वीरों में धर्मशाला के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही तन्मयता से उतारा। उसने बताया कि धर्मशाला में उसने अपना बचपन बिताया है इसलिए वह उसके मन में रचा-बसा है।

प्रदर्शनी में लगी अपनी पहली तस्वीर उसने अपने मां को उपहार देने के लिए अलग से रख लिया था, उसका कहना था कि उसकी यह सुंदर तस्वीर केवल मां के दिल में स्थान पा सकती है इसके लिए आर्ट गैलरी सही जगह नहीं है क्योंकि यहां उसकी कीमत लगाई जाएगी। उसने मुझसे अपने दिल की हर बात कही। दो दिन की मुलाकात में मुझे पता चला कि तिब्बत के इस युवा चित्रकार में दिल में महिलाओं के लिए काफी सम्मान है। बातों ही बातों में उसके मुंह से निकला औरतें भी इंसान होती है इसलिए उसके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए और उसके भावनाओं की भी कद्र होनी चाहिए। अफसोस के साथ वह बताता है कि उसकी कोई बहन नहीं है इस बात का उसे और उसकी मां को काफी मलाल है।

जामियांग मूल रूप से तिब्बत का रहने वाला है लेकिन सालों पहले उसके माता-पिता हिंदुस्तान आ गए थे तब से वह भी हिंदुस्तान का ही होकर रह गया। धर्मशाला में अपन स्कूल की पढ़ाई और दिल्ली विश्वद्यािलय से स्नातक होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक सुरक्षा समूह के साथ जुड़कर काम कर रहा है। छुट्टियों में धर्मशाला जाने पर अपने एक कमरे के स्टूडियो और एक ट्यूबलाईट में ही वह तल्लीनता से पेंटिंग करता है और धर्मशाला की ठंढ़ में केवल ब्रश और रंग ही उसके हाथ को गर्मी पहुंचाते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में लगे अपने चित्र प्रदर्शनी से जामियांग काफी उत्साहित था और खुद को भाग्यशाली मान रहा था कि ईश्वर ने उसे यह मौका दिया है। उससे विदा लेते समय मैंने महसूस किया कि उसकी खामोश तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी।

सुनीता रॉय
चरखा

मीडिया संवाद- मुख्यधारा मीडिया को जानने की कोशिश

चरखा ने ब्रिटिश हाई कमीशन के वित्तीय सहयोग से दो दिवसीय मीडिया संवाद का आयोजन विश्व युवा केंद्र में 21-22 मार्च को किया। देश के छह राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से आए तकरीबन 30 सामाजिक कार्यकर्त्ता और ग्रामीण लेखकों का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कराने के मकसद से इसका आयोजन किया गया था। छह राज्यों से आए इन ग्रामीण लेखकों और सामाजिक कार्यकत्ताओं ने मीडिया के साथ अपने अनुभवों को बांटा।

रचनात्मक साझा कार्यक्रम

गांधी शांति प्रतिष्ठान में बैठक

चरखा की प्रोग्राम मैनेजर सुनीता रॉय ने 9 अप्रैल को गांधी शांति प्रतिष्ठान में जाने माने पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्त्ता बलराज पुरी के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि चरखा संजय घोष फेलोशिम कार्यक्रम के जरिए जम्मू और कश्मीर के तनाव भरे इलाकों से किस तरह मानव भावनाओं, शांति और विकास पर आधारित लेख प्राप्त किए जा सकते हैं ताकि उनको मुख्यधारा अखबारों में प्रकाशित किया जा सके। बैठक में इस बात पर जोर दिया कि मुख्यधारा मीडिया के जम्मू और कश्मीर में शांति और विकास के लिए हो रहे प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा कवरेज देना चाहिए।

ड्रीम छत्तीसगढ़ बैठक

छत्तीसगढ़ डॉट नेट समूह के कार्यकर्त्ता, पत्रकार और सूचना तकनीक के विशेषज्ञों और चरखा के साथियों की एक महत्वपूर्ण बैठक 8-9 अप्रैल को रायपुर छत्तीसगढ़ के नजदीक बरनावापाड़ा अभ्यारण्य के देवपुत्र फॉरेस्ट गेस्ट हाऊस में हुआ। इस बैठक का मकसद कृषि, जल, उद्योग, खनन, श्रम, जनजाति और वन के विकास और इससे जुड़ी राज्य सरकार की नीतियों की एक गहरी समझ पैदा करना था।

चरखा ने ग्रासरूट संचार और मीडिय द्वारा लोक हित में की गई इस पहल को देखते हुए अपना सहयोग दिया। चरखा के अमन नम्र और सुजाता राघवन ने इस बैठक में सक्रिय भागीदारी निभाई और चरखा के सामुदायिक रेडियो के रूप में की गई अपनी पहल और इस संदर्भ में वैकल्पिक मीडिया की क्षमता पर अपने अनुभवों के बारे में बताया। इस बैठक की रिपोर्ट http://groups.yahoo.com/group/chhattisgarh-net/files/ से हासिल की जा सकती है।

बिहार नाउम्मीद क्यों?

यह पुस्तिका चरखा के सहयोग से 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव पर राहुल रामागुंडम के शोध का परिणाम है। इस शोध से जुड़े कई आलेख विभिन्न अखबारों में छप चुके हैं। यह पुस्तिका बिहार की जटिल राजनीतिक प्राक्रिया पर प्रकाश डालती है जिसके चलते एक व्यक्ति ग्रामीण समुदाय की सामाजिक, आर्थिक स्थिति के गिरते रहने के बावजूद 15 सालों तक लगातार एक ही शासन में रह सका।

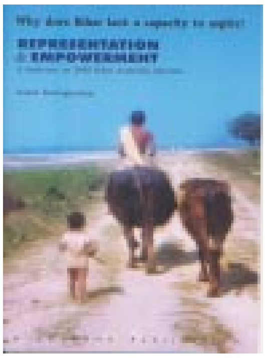

बिहार में पैदा हुए राहुल रामागुंडम वर्त्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वद्यिालय से पीएचडी कर रहे हैं। बिहार में चुनाव के दौरान किए गए इनके शोध से चरखा को वहां के ग्रामीण संचार पर कार्य करने में मदद मिलेगी। यह पुस्तिका उपेक्षितों और गरीबों की नजर से बिहार की राजनीति पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तिका से चरखा को बिहार में विकास की प्रक्रिया को समझने में सुविधा होगी जहां चरखा अपनी कार्यशालाएं आयोजित करता आया है।

विकास संवाद-सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की मार्गदर्शिका

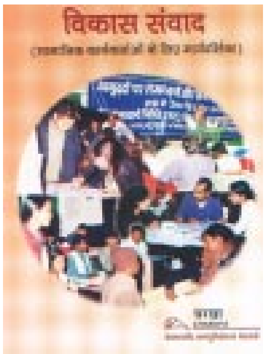

ब्रिटिश हाई कमीशन के सहयोग से चरखा ने हिंदी में विकास पत्रकारिता पर ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं और ग्रामीण पत्रकारों के मार्गदिर्शका तैयार किया है ताकि ग्रामीण लेखक इस मार्गदर्शिका को पढ़ने के बाद अपने मुद्दों पर प्रभावशाली ढ़ंग से लिख सकें और लेखन के माध्यम से अपनी समस्याओं और सफल कहानियों के बारे में मुख्यधारा मीडिया को बता सके। यह मार्गदर्शिका चरखा के दस सालों के कार्यशाला आयोजन के अनुभवों पर आधारित है जिसमें ग्रामीण लेखक और सामाजिक कार्यकत्ताओं ने लेखन संबंधी अपनी दिक्क्तों का जिक्र किया था। मार्गदर्शिका कोई पाठ्यक्रम प्रस्तुत नहीं करती बल्कि सूत्रधार के माध्यम से पाठकों को एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान करती है।

झारखंड सामुदायिक रेडियो पहल का दृश्य दस्तावेजीकरण

पेछुवाइल मन केर स्वर

चरखा द्वारा निर्मित और चरखा के दृश्य श्रव्य प्रभाग के प्रभारी इरशाद अहमद के निर्देशन में बनी यह 20 मिनट की फिल्म झारखंड के आदवासी बहुल इलाके पर आधारित है। रांची के अनगड़ा ब्लॉक के उपेक्षित बेदिया आदिवासियों की आवाज संचार के उचित माध्यम न होने के चलते बाहरी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती थी। यह फिल्म बेदिया समुदाय और राज्य के बीच संवाद में सामुदयिक रेडियो की भूमिका के बारे में बताती है जिसकी शुरूआत चरखा ने की।

चरखा उम्मीदवार को भारतीय उद्योग परिसंघ का 'आदर्श स्त्री' सम्मान

16-17 मई 2005 को नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में हुए भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में चरखा को अपनी विशेष भूमिका निभाने का मौका मिला। सम्मेलन के मुख्य अतिथि वित्त मंत्री पी चितंबरम ने तीन महिला सामाजिक कार्यकत्ताओं को 'आदर्श स्त्री' के पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार सामाजिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। इस साल यह सम्मान पाने वालों में हरियाणा की पूनम सिनसिबर, झारखंड के दुमका जिले के राजसमरिया गांव की तेजो देवी और महाराष्ट्र की कविता संतोष शिंदे शामिल थी। पुरस्कार स्वरूप एक लाख रूपए, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया।

पुरस्कार पाने वाली तीन महिलाओं में एक पूनम सिनसिबर का नाम चरखा ने प्रस्तावित किया था। पूनम हरियाणा में समाज के उपेक्षित बच्चों को शिक्षित करती है। पिछले छल सालों से पूनम ग्रामीण और उपेक्षित बच्चों को पढ़ाकर समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने इसकी शुरूआत नेबसराय के नवसृष्टि केंद्र से की जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। अपनी शादी के बाद पूनम फरीदाबाद चली आई जहां उसने आजाद नगर की झुग्गियों में अपना काम जारी रखा।

पूनम के लिए शुरूआती दौर संघर्षपूर्ण रहे। उन्हें पत्नी, बहू और सामाजिक कार्यकत्ता के रूप दोहरी भूमिका निभानी पड़ी। हालांकि काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से उसने अपना रास्ता बना ही लिया। वह आज आजादनगर में एक बालवाड़ी चला रही

है जहां 200 बच्चे है और किशोरवय लड़कियों को सिलाई और अन्य कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपना रोजेगार शुरू कर सके। पूनम अपने केंद्र को चलाने के लिए किसी से वित्तीय सहायता नहीं लेती है बल्कि समुदाय के सहयोग से ही यह चलता है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए चरखा अध्यक्ष शंकर घोष ने कहा कि ग्रामीण भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है बल्कि वहां अपार संभावनाएं है, बस जरूरत इस बात की है कि उन प्रतिभाओं को पहचाना और तराशा जाए। उन्होंने झारखंड, उत्तरांचल और राजस्थान की कई ऐसी महिलाओं का उदाहरण दिया जो अपनी पहल और श्रम से अपने समुदाय में सुखद बदलाव लाने में सफल हुई हैं।

दुर्भाग्य यह है कि इस तरह के बदलाव शहरी लोगों तक नहीं पहुंच पाते। चरखा ने इन बुनियादी मुद्दों को मीडिया से जोड़ने की कोशिश की है। जिससे यह नीति निर्माताओं और प्रशासन तक पहुंच सके और वर्तमान स्थिति में इन मुद्दों के लिए अपनी भूमिका तलाशें।

आलेख

पानी बचाने की कोशिश

संदीप दास

उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक खामोश जलक्रांति जारी है। बुंदेलखंड के पिछड़े जिले मानिकपुर के एक दूरदराज पातीन गांव में पानी का लंबे समय से जारी अभाव दूर करने के सामूहिक प्रयास जारी हैं। गांव के 50 वर्षीय किसान हीरामन त्रिवेदी गांव के तमाम लोगों को इस प्रक्रिया में एकजुट कर रहे हैं। गांव के 104 परिवार इसमें सहयोग दे रहे हैं और उनमें से ज्यादातर कोल जनजाति के हैं। यह सपना पूरा होने पर इस इलाके में पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। श्रमदान के रूप में हर परिवार इस परियोजना में चार दिन अपनी इच्छा से काम कर रहा है।

गौरतलब है कि बुंदेलखंड के पातीन गांव में पानी के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। जीवनयापन के लिए यहां लोग मुख्यत: कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन सिंचाई की सुविधा न होने के कारण गरीब ग्रामवासी बारिश के देवता की कृपादृष्टि पर ही जीवित हैं। इस परियोजना को नाबार्ड ने अपने जल-संभरण विकास कोष से समर्थन-सहयोग दिया है। 'परियोजना के पूरे हो जाने के बाद मुझे मजदूरी ढूंढ़ने के लिए दिल्ली या सूरत जैसी दूरदराज जगहों में नहीं जाना पड़ेगा,' इस पहल के बाद साफ तौर पर उत्साहित दिखते हीरामन कहते हैं। यह परियोजना न केवल 795 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी, बल्कि ग्रामवासियों और मवेशियों को पेयजल भी उपलब्ध कराएगी।

कोली कबीले के 45 वर्षीय देवनाथ भी इस परियोजना में अपना सहयोग दे रहे हैं। वे साल में छह महीने कृषि पर निर्भर रहते हैं और बाकी छह महीने बड़े शहरों में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। पहली बार जाति की

ऊंच-नीच से ऊपर उठ पूरा गांव इस पहल में भागीदारी कर रहा है। 'हमें अपनी जिंदगी संवारनी हैं। सामूहिक पहल से ही हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं,' देवनाथ कहते हैं। परियोजना को अमल में लाने का काम चित्रकूट स्थित अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान कर रहा है। वह 1996 से ही समुदायों के बीच उनके हित के लिए सक्रिय रहा है।'वर्षों का हमारा अनुभव बताता है कि अगर आप लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने की राह दिखा दें तो सफलता निश्चित है,' संस्थान के पीछे की प्रेरक शक्ति रहे गोपाल भाई कहते हैं।

बयालीस लाख रु. की लागत वाली इस नाबार्ड योजना के दो चरण हैं। पहले वर्ष के चरण को क्षमता निर्माण चरण कहा गया है। इस अवधि में सभी ग्रामवासी परियोजना में भागीदारी करेंगे। इसके तहत 100 हैक्टेयर बंजर भूमि पर काम किया जाएगा। भूमि की सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परियोजना बारिश के पानी का इस्तेमाल करेगी। समय-समय पर नाबार्ड योजना की समीक्षा और उसकी प्रगति का आकलन करेगा। पूरी परियोजना अवधि के दौरान गांव वालों को निरंतर मजदूरी दी जाएगी। इससे वे काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। परियोजना के निरीक्षण के लिए संस्थान ने एक जल संभरण समिति का गठन किया है जिसमें नौ ग्रामवासी शामिल हैं। 'यह एक प्रयोगशील पहल है, इसलिए ग्रामवासियों को परियोजना में भागीदारी करने के लिए निरंतर उत्प्रेरित करने की जरुरत है,' संस्थान के साथ काम करने वाले विजय कहते हैं। उनके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और वे फिलहाल परियोजना के निरीक्षण का काम कर रहे हैं।

यह परियोजना ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली जमीन पर चलाई जा रही है। 'हम इस योजना का पूरी तरह समर्थन ओर सहयोग कर रहे हैं क्योंकि इससे न केवल इलाके की भूजल तालिका ऊपर उठेगी, बल्कि कुछ गांवों की पानी की जरूरत भी पूरी होगी,' जल-संभरण समिति के एक सदस्य राम बालक कहते हैं। इस आदर्श पहल पर समुदाय का स्वामित्व होगा और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वयं-सहायता दल का गठन किया जाएगा। 'हमारा मकसद विकास संबंधी समस्याओं का सामना करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना है,' गोपाल भाई इसमें जोड़ते हैं।

सामंती संरचना वाले इस इलाके में ग्रामवासियों को लामबद्ध करना शुरु से ही कोई आसान काम नहीं रहा। उ.प्र. के पठारी भाग में कोल आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करने के दौरान अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान को दमन और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तमाम प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में लेकर बड़े जमींदार और ठेकदार मोटी कमाई करते रहे हैं। वे कोल समुदाय के लोगों का इस्तेमाल ऐसे मजदूरों के रुप में करना चाहते हैं जिनसे कम मजदूरी देकर ढेर सारा काम लिया जाए। संस्थान ने जब कोलों के लिए कृषि भूमि और खदानों की लीज लेना शुरु किया तो इन अमीर और प्रभावशाली लोगों ने संस्थान को लंबी कानूनी लड़ाई में उलझाने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिल कर साजिश की। सरकार हालांकि बंधुआ मजदूरी को कई वर्ष पहले प्रतिबंधित कर चुकी हे, लेकिन इस इलाके में यह समस्या अभी भी बनी हुई है। इस क्षेत्र में सक्रिय निहित स्वार्थ परियोजना के विरोध में हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बाद वे गरीब कोलों का शोषण नहीं कर पाएंगे। सो वे परियोजना के कार्यान्वियन में ढ़ेरों अड़चनें पैदा करते हैं।

बुंदेलखंड के पठारी इलाके में कोल परिवारों से संबंधित संस्थान की एक रपट में कहा गया है कि इंदिरा आवास योजना और सिंचाई परियोजनाओं जैसे कार्यक्रमों ने कोलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं किया है। इस इलाके पर अभी भी मजबूत सामंती लॉबी का बोलबाला है। संस्थान जैसे स्वैच्छिक समूहों की निरंतर कोशिशों ने कोलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। यहां गाए जाने वाले एक गीत से लोगों की आंतरिक भावनाओं की एक झलक मिलती है-
'मिल कर करें प्रयास हमें परिवर्तन लाना हैं।यदि हो गए उदास, नहीं कुछ होना जाना हैं।' (चरखा)

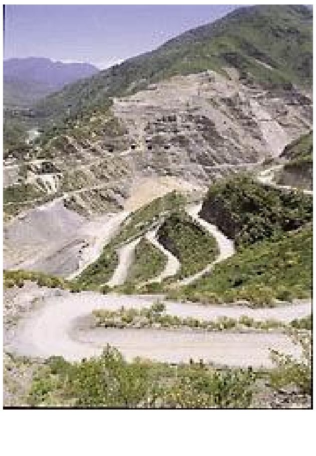

कब बसेंगे टिहरी के उजड़े

विमल भाई

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में टिहरी बांध के विस्थापितों को कोई नया लाभ तो नहीं दिया, लेकिन इससे बांध कार्य के साथ पुनर्वास व पर्यावरण के मसले को जरूरत महत्व मिला है। 1972 की योजना आयोग की स्वीकृति में भी यह मामला लटका पड़ा था। लेकिन इस बार जन दबाव में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को निगरानी समिति बनाने पर मजबूर होना पड़ा है। इस कमेटी में पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उत्तरप्रदेश के मुख्य वन संरक्षण अधिकारी, गैर सरकारी संस्था तथा पर्यावरण विशेषज्ञ सदस्य हैं। समिति हर तीन महीने में कम से कम एक बार परियोजना से संबंधित शर्तो के पालन की प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कहा कि- 'परियोजना शुरू होने से पहले शर्तों की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत बहुत बारीकी से निगरानी की जाएगी और परियोजनाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि जलाशय को भरने के लिए टी-1/टी-2 सुरंग बन्द करने के पूर्व हर तरीके से विस्थापन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास हो जाए।' सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्ष बहाव वाले इलाकों के जलग्रहण क्षेत्र का विकास पूरा हो जाएगा एवं परियोजनाकार 700 मीटर की अनुमानित ऊंचाई के स्तर पर कपाट बंद करने के पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा भी दाखिल किया गया है कि जिसके अनुसार केंद्रीय सरकार के समस्त संबंधित मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति का गठन होगा जो इसके विभिन्न पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण करेगी। कोर्ट के इस विशिष्ट कथन से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टिहरी बांध के बारे में 19 जुलाई 1990 के पर्यावरणीय मंजूरी के प्रमाण पत्र की समस्त ृर्तो के पूरी तरह पालन होने तक किसी डूब की अनुमति नहीं दी जाएगी।'

टिहरी बांध के बारे में बनी निगरानी समिति की जून 2003 की रिपोर्ट में कुछ गम्भीर समस्याओं की पहचान की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने अनुभव किया था कि बांध से प्रभावित लोगों के लिये शिकायत प्रकोष्ठ को अधिक प्रभावी किये जाने और मामलों को मानवीय आधार पर देखे जाने की जरूरत है। समिति ने पुनर्वास पैकेज को आकर्षक पाया लेकिन कहा कि जमीन पर परिणाम सफल नही दिखाई देते। समिति को यह भी जानकारी मिली कि नई टिहरी में बसे करीब 10000 परिवारों में से मात्र 3000 ही टिहरी के विस्थापित हैं।

इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण पुनर्वास स्थल पर ग्रामीण व्यवसाय की संभावना को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। लोगों के लिए जो घर बनाए गए वे कॉलोनियों की तरह और जो भवन बनाए जा रहे हैं वो शॉपिंग कांप्लेक्स की तरह दिखते हैं। इससे ग्रामीण समाज में प्रचलित सामुदायिक संरचना के प्रभावित होने और नजदीकी शहरी क्षेत्र में रोजगार की तलाश में विस्थापितों के शोषण की संभावना बढ़ गई है। साथ ही रिपोर्ट में नई टिहरी में पानी की कमी, वनीकरण को नजरअंदाज किए जाने, बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण नहीं देने, महिलाओं की आय में वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं करने और मंहगाई के बढ़ने का भी किया गया।

कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के बारे में कहा गया था कि भूक्षरण प्रभावित क्षेत्रों की वैज्ञानिक तरीकों से पहचान व आंकलन हेतु पर्याप्त जमीनी काम नहीं किया गया है। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट कार्य में विशेषज्ञ एजेन्सी का सहयोग नही लिया गया है। रिपोर्ट में केवल कुछ ही हिस्सों में हरियाली दिखाई देने, वनीकरण कार्य में स्थानीय वृक्ष प्रजातियों के रोपण और उसमें स्थानीय आबादी की सहभागिता की जरूरत बताई गई। समिति के अनुसार टिहरी में जो महत्वपूर्ण कार्य अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाए हैं उनमें झील के क्षेत्र का ट्रीटमेंट, महासिर मछली के संरक्षण के उपाय, दुर्लभ जन्तु व वनस्पति प्रजातियों का संरक्षण जो कि झील क्षेत्र में हैं, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा के उपाय, धूल प्रदूषण से बचाव, जल की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना में विलम्ब, झील में गाद जमाव की माप और भागीरथी घाटी प्रबन्धन प्राधिकरण को सक्रिय करना आदि ृामिल था।

रिपोर्ट से पता चलता है कि एक ओर समुद्र तल से 700 मी. ऊंचाई तक पुनर्वास पूरा होने व समुद्र तल से 760 मीटर तक 495 परिवारों के रहने की बात कही गई है वहीं समुद्र तल से 760 मीटर से 840 मीटर तक की पुनर्वास स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुनर्वास का 55 करोड़ रुपए का पैकेज अभी केन्द्र सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है और ना ही पुनर्वास के हिस्से का 77 करोड़ रुपए उत्तरांचल सरकार ने लौटाए हैं। उत्तरांचल के मुख्य सचिव ने समिति को बताया कि अगर टिहरी बांध जलाशय का भराव दिसम्बर 2003 से चालू नहीं हो पाया तो एक वर्ष में काम होना मुश्किल होगा। रिपोर्ट के अंत में यही कहा गया है कि जिला अधिकारियों से हुई चर्चाओं से यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है।

सवाल यह है कि जब पुनर्वास पूरा हुए बिना टी 1 टी 2 बंद नहीं की जा सकता तो 700 मीटर तक पानी कैसे भर जायेगा? इस मामले में विस्थापितों को या तो गुमराह किया जा रहा है या टीएचडीसी व पुनर्वास के अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ठीक से पढ़ा ही नहीं है। 700 मीटर तक आंशिक जलभराव पुनर्वास के संदर्भ में नहीं है बल्कि पुनर्वास पूरा होने के बाद टी 1 टी 2 बंद किये जाने पर भी जल भराव तब तक मात्र 700 मीटर तक ही तो सकता है, जब तक जलग्रहण क्षेत्र का ट्रीटमेंट (डाइरेक्ट ड्रेनेज) कार्य पूरा नहीं हो जाता। गौरतलब है कि वन और पर्यावरण मंत्रालय को 700 मीटर जलभराव की अनुमति नहीं देनी है बल्कि जलग्रहण क्षेत्र का ट्रीटमेंट पूरा होने पर ही 700 मीटर पर स्थित सुरंग को बंद करने की अनुमति देनी है। अर्थात पुनर्वास पूरा होने पर भी पानी तब तक मात्र 700 मीटर जा सकेगा जब तक कि जल ग्रहण क्षेत्र ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता।

जाहिर है कि समिति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से नहीं समझा है। इस कारण इस रिपोर्ट में विरोधाभास हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि समिति के सदस्य सरकारी पक्ष को ही अहमियत दे रहे हैं और आम विस्थापितों, प्रतिनिधियों व विस्थापितों के बीच काम कर रहे जन संगठनो से नही मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले साल टिहरी बांध पुनर्वास समन्वय समिति की बैठक में पुनर्वास पर गम्भीर चिंता जताते हुये उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री से बात करने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पुनर्वास कार्य को पूरी प्राथमिकता देने की बात कही थी। लेकिन पिछले महीनों में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था। अब जब आम चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है तब बयानबाजी शुरू हो गई है। पैसे की कमी या केन्द्र द्वारा पैसा न दिए जाने की कमी जैसे तर्क राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे है। पर पिछले पांच महीनो में पुनर्वास पर किसी भी समिति की बैठक नहीं हुई है।

पुनर्वास का पूरा कार्य प्रशासन की दया पर डाल दिया गया है। एवार्ड घोषित होने के बाद भी गांवो में पात्रता सूची तक जाहिर नही हो पाई है। दूसरी तरफ प्रशासन पुनर्वास पूर्ण होने का दावा करता है और सच्चाई सामने आने पर भ्रम पूर्ण ब्यान देता है। पूर्ण पुनर्वास का अर्थ पुनर्वास स्थलों पर विस्थापितों के पहुंचने से पहले सभी आवश्यक सुविधायें स्थापित हो जाना है। आज मुख्यमंत्री की कोशिश किसी तरह टिहरी शहर खाली कराने की है ताकि ग्रामीणों पर गांव खाली करने के लिये दबाव लाया जा सके। इससे जाहिर होता है कि पर्दे के पीछे केन्द्र व राज्य एक नीति पर चलते हैं और पर्यावरण व पुनर्वास के मुद्‌दों को धता बताते हुये बांध निर्माण का सेहरा अपने माथे बांधना चाहते हैं। (चरखा)

परित्यक्ताओं की घुटती जिंदगी।

कात्यायनी उप्रेती

इक्कतीस साल की गोमती कुछ ही दिनों पहले अपने गांव मौड़म से पिथौरागढ़ के निराश्रित आश्रम की में आई है। उसकी सात और चार साल की दो नन्हीं बेटियां भी उसके साथ है। पहले पति ने पैर काट दिया और जब वह किसी काम की नहीं रह गई तब सास ने घर से निकाल दिया। गोमती और उसकी बेटियों के लिए अब बस इस आश्रम का ही सहारा रह गया है। उसकी दो नन्हीं बेटियां बेबसी से अपने मां की ओर देखती हैं और फफक-फफक कर रो रही गोमती को चुप कराने का असफल प्रयास करती हैं। गोमती ने बताया कि उसका पति खूब चरस और शराब पीता था। एक दिन रोज की तरह मारपीट की और फिर गुस्से में कुल्हाड़ी से पैर काट दिया। पैर कटने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसका इलाज करवाया। तीन महीने का लंबा दर्दनाक समय उसने अस्पताल में बिताया। इस दौरान उसका कोई अपना उसके साथ नहीं था।

गोमती की शादी को 14-15 साल हो गए हैं। मारना-पीटना तो हमेशा चला पर 3 बेटियों की मां होना उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। वो बताती है कि मेरा कोई बेटा नहीं है इसलिए मेरी सास ने मुझे खाना देना बंद कर दिया। गोमती की 11 साल की सबसे बड़ी बेटी आज अपनी दादी के साथ है। गोमती की आंखों में बेटी की याद के आंसू लगतार बह रहे हैं।

यह दर्दनाक दास्तां केवल गोमती की नहीं है, बल्कि उत्तरांचल में हजारों ऐसी महिलाएं मिल जाएगी जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित हो कर किसी न किसी वजह से घर से निकाल दी गई हों और अब परित्यक्ता का जीवन जीने को मजबूर है। राज्य के कई इलाकों में चलाए रहे आश्रमों में रहनेवाली महिलाओं की जिंदगी में झांके तो केवल दुख और निराशा से टूट रही महिलाओं का मलीन चेहरा ही देखता है।

उत्तरांचल यानी सीधे पहाड़ियों के खूबसूरत घर में परित्यक्ताओं की ये कहानी बहुत पुरानी है। ग्राम पंचायत छाना के धारी गांव के एक बुजुर्ग का कहना है कि औरतों के साथ मारपीट और उन्हें घर से निकालने का हमारे समाज में एक रिवाज ही बन गया है। कई लोग तो दो-तीन शादियां करते थे या शादी नहीं तो ऐसे ही किसी औरत को रख लेते थे। वह बुजुर्ग इसके लिए दारू को सबसे ज्यादा गुनहगार तो मानते हीं हैं साथ ही कहते हैं कि परिवार में भी मर्दो को औरतो की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता है। एक बेटा जब अपनी मां को अपने पिता से से पीटते देखता है तो शादी के बाद वह भी अपनी पत्नी के साथ जानवरों जैसा ही सूलूक करता है।

उनके बगल में बैठे दूसरे बुजुर्ग महोदय को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे बताते हैं कि औरत को हमेशा दब कर रहना चाहिए। चाहे वो घर बैठे या नौकरी करे या अंतरिक्ष में जाए। इस पर आसपास बैठे सब लोग हंस पड़े। इस बारे में जब एक बुजुर्ग महिला से बात की तो वे हामी भरते हुए बोली कि हां-हां हमारे समय में भी ये होता था। हर घर में औरत मार खाती थी। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। ज्यादातर घरों में मारपीट कर महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था।

उत्तरांचल में रोजना घर, खेत और जंगल में पिसने वाली औरत को कोई महत्व नहीं है। इन महिलाओं के नाम पर कोई जमीन या संपत्ति नहीं होती लेकिन सुबह से रात तक घर के काम निबटाने, बच्चों और पशुओं की देखभाल करने के अलावा उन्हें खेतों में मजदूर के रूप में भी काम करना पड़ता है। उन्हें बुआई, गुड़ाई, कटाई, सिंचाई और सफाई आदि के काम करने होते हैं। जंगल से लकड़ी लाने का काम भी उनके जिम्मे ही है, जिसके लिए उन्हें दो-तीन किलोमीटर तक पैदल ही चलना पड़ता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी छोटी सी छोटी बात पर पति के हाथ से पीटना महिलाओं की नियती बन गई है। खाना बनने में देरी होने पर, खाना ठंढ़ा होने पर, बच्चों को साफ न रखने पर, रोते बच्चे को चुप न कराने पर, जंगल से देर से लौटने पर और बारिश में कपड़े गीले होने पर वे किसी भी वक्त और किसी के भी सामने पिटाई खा लेती है।

पिथौरागढ़ के कड़ाकोट गांव की गोविंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1973 में 12 साल की छोटी सी उम्र में गोविंदी की शादी खतैड़ा गांव के रघुवीर सिंह नेगी के साथ हुई। शादी की शुरूआत ही पति ने मारपीट और गाली गलौज से की। काफी जुल्म सितम सहने के बाद आखिरकार वह अपनी पति को छोड़कर अपने मायके चली गयी और न्यायालय के कई चक्कर लगाने के उसका तलाक हो गया। इस दौरान उसकी मां भी चल बसी और उसका एकमात्र सहारा भी नहीं रहा। इस बीच उसके पति ने दो शादी और कर ली। गोमती को इस बात का बेहद अफसोस है कि उसने अपनी शिकायत महिला आयोग से कई बार की लेकिन वहां से कोई न्याय नहीं मिला।

बेशक अकेली औरत का जीवन मानसिक तनाव से जूझता है, साथ ही सामाजिक डर और आर्थिक वजह से भी वह किसी और पर निर्भर हो जाती है। गुजर-बसर करने के बाद ज्यादातर औरतें अपने मायके चली जाती है लेकिन वहां जाकर भी उनमें अधिकतर का जीवन अपने भाई-भाभी के घर और बच्चों को संभालने में ही जाता है। अपने लिए उनके पास कुछ भी खूबसूरत नहीं होता। लेकिन सभी महिलाएं इतनी खुशनसीब नहीं होती। शायद इसलिए क्योंकि समाज में नाते रिश्ते भी आर्थिक और सामाजिक रूप से बंधे हैं। कुंती आज करीब 47 साल की है पिथौरागढ़ का निराश्रित आश्रम ही अब उसका सबकुछ है। वह मानसिक रूप से बीमार है। किसी ने गांव में उसके साथ बलात्कार किया था उसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया। कुंती जैसी औरतों को इन आश्रम में तो खाना और रहने के लिए छत मिल भी जाता है लेकिन उस जैसी सैंकड़ों गरीब परित्यक्ता औरतें उत्तरांचल की सड़कों पर मिल जाएगी। जिसके साथ यौन शौषण से लेकन मानसिक शोषण भी होता रहता है।

महिलाओं के साथ हिंसा करने और उन्हें घर से निकालने के जिम्मेदार लोगों के पास कई बहाने हैं। कई बार महिलाओं को चरित्रहीन बना दिया जाता है तो कई बार चोरी के इल्जाम में फंसा दिया जाता है। कईयों को तो उसके पति ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह बेटे को जन्म नहीं दे सकी तो कुछ गाड़ियां भर दहेज नहीं ला पायी।

अस्कोट इलाके में औरत के हक के लिए काम करने वाली संस्था 'अर्पण' की रेणु ठाकुर बताती है कि उत्तरांचल में पत्नी छोड़ने के मामले दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। वे इसकी प्रमुख वजह अशिक्षा को मानती हैं। उनके मुताबिक उत्तरांचल में अभी भी महिला साक्षरता दर में कोई इजाफा नहीं हुआ है। यदि कहीं-कहीं लड़कियां पढ़ भी रही हैं तो शिक्षा उनमें वह विकास नहीं कर पा रहा है जिससे किसी भी अत्याचार का मुकाबला करने को वे तैयार हो सके। वे बताती हैं कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बना महिला आयोग और पुलिस किसी पीड़िता को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है जिसके चलते तमाम महिला संगठनों के हाथ बंधे हैं। ऐसे में पहाड़ की रीढ़ से नवाजी गयी महिलाएं लगातार टूट रही हैं। (चरखा)